

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी किये गये

16.09.2025

आज यह पत्रावली माननीय राष्ट्रीय लोक अदालत(दिनांक 13.09.2025) बैंच के द्वारा पक्षकारान की ओर से लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजीनामा तसदीक करते हुए पंचाट जारी कर प्रकरण राजस्व विधि के अनुसार राजीनामा के दृष्टिगत निर्णय/आगामी कार्यवाही हेतु पत्रावली न्यायालय को प्रेषित करने के परिणामस्वरूप पेशी में ली गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष प्रकरण में राजीनामा आधार पर वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में राजीनामा आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि का राजीनामा आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :-

वादीगण रम्बो देवी मोहनी देवी बहिरसा बराबर	चक 7 एलसी प.नं. 151/348 मु.नं. 23 कि.नं. 1,10 रकबा 0.506 है. कमाण्ड/खाला एवं चक 2 एम.एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर प.नं. 147/342 मु. नं. 7 कि.नं. 1 ता 25 में 6.325 है. कमाण्ड /खाला कुंल 6.831 है. कमाण्ड मय खाला
प्रतिवादीगण मीरा देवी चुन्नी देवी	चक 7 एलसी प.नं. 151/348 मु.नं. 23 कि.नं. 2 ता 9, 11 ता 20 रकबा 4.554 है. कमाण्ड मय खाला

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाता में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से अंकन किया जावे। भूमि की किरम प्रकृति (नहरी/बारानी/खाला/गै.मु.) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे। चूंकि उक्त भूमि बैंक के पक्ष में राहिन दर्ज है ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय की पालना भूमि के रहन मुक्त दर्ज होने के उपरान्त की जावे। राजीनामा को निर्णय का भाग समझा जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुना गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर



डिक्री व मुकदमें इब्तदाइ
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर
बईजलास शकुन्तला, आर.ए.एस.

वाद सं. 204/2014

जीसीएमएस नं. 2014/00073

1. रम्बो देवी पत्नी देवाराम जाति मेघवाल निवासी 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. मोहनी देवी पुत्री देवाराम जाति मेघवाल निवासी 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

-वादीगण

बनाम

1. मीरा देवी पुत्री लाखाराम पत्नी अचलाराम जाति मेघवाल निवासी रङ्डेवाला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. चुन्नी देवी पुत्री लाखाराम पत्नी उदाराम जाति मेघवाल निवासी 1 एफ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.92ए,209 राज.काश्त.अधि.

दिनांक : 16.09.2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, प्रतिवादी सं. 1-2 की ओर से अधिवक्ता श्री साहिब बाघला की उपस्थिति में वाद के आज अन्तिम निपटारे हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण रम्बो देवी मोहनी देवी वहिस्सा बराबर	चक 7 एलसी प.नं. 151/348 मु.नं. 23 कि.नं. 1,10 रकबा 0.506है. कमाण्ड/खाला एवं चक 2 एम.एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर प.नं. 147/342 मु.नं. 7 कि.नं. 1 ता 25 में 6.325है. कमाण्ड /खाला कुल 6.831है. कमाण्ड मय खाला
प्रतिवादीगण मीरा देवी चुन्नी देवी	चक 7 एलसी प.नं. 151/348 मु.नं. 23 कि.नं. 2 ता 9, 11 ता 20 रकबा 4.554है. कमाण्ड मय खाला

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाता में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से अंकन किया जावे। भूमि की किस्म प्रकृति (नहरी/बारानी/खाला/गै.मु.) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे। चूंकि उक्त भूमि बैंक के पक्ष में राहिन दर्ज है ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय की पालना भूमि के रहन मुक्त दर्ज होने के उपरान्त की जावे। राजीनामा को निर्णय का भाग समझा जावे।

डिक्री आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शकुन्तला

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर



वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी		7. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		9. प्लीडर की फीस	
रूपये पर प्लीडर की फीस		10. साक्षियों के लिए	
4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		निर्वाह-व्यय	
5. कमिश्नर की फीस		11. आदेशिका की तामील	
6. आदेशिका की तामील		12. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	